राजस्व प्रकरण संख्या Gcms No. 2022/57

अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम दलवीरसिंह

अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
26/12/22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी श्री पृथ्वीराजसिंह राणवत द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी जा रही हैं कि ग्राम पुनाडिया तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 116/3 रकबा 0.02 हैक्टर तथा खसरा नंबर 117 1 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि अप्रार्थी बहैसियत मालिक शांतिपुर्वक काबिज है। अप्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि को वाणिज्यक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवाने के लिये ऑन लाईन आवेदन किया है। जिस पर तहसीलदार, बाली ने आवेदन पत्र को जांच हेतु पटवारी हल्का को पत्रांक/राजस्व/2022/3818 से भेजी है। जांच के बाद प्रक्रिया पुरी होने पर भूमि संपरिवर्तन की कार्यवाही पुर्ण होगी। अप्रार्थी के पास सटती हुई खसरा नंबर 117 की भूमि अब्दुल नासीर पुत्र छोटू खांजी जाति मुसलमान निवासी की आई हुई स्थित है, जिस भूमि को उपखण्ड अधिकारीजी बाली द्वारा दिनांक 29.08.2016 को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया जा चुका है। तथा अप्रार्थी भी अपनी भूमि को संपरिवर्तन करवाने के लिये आमादा है। प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के अवलोकन से यह ज्ञात हैं कि अप्रार्थी द्वारा भूमि संपरितर्वन के लिये आवेदन किया जा चुका है, जिसको पटवारी हल्का के पास जांच के लिये भी तहसीलदार, बाली द्वारा अग्रेसित किया जा चुका है। इस प्रकार अप्रार्थी अपनी भूमि को संपरिवर्तन कराने के लिये तैयार है। तथा अब यदि धारा 177 के तहत प्रकरण लंबित होगा तो प्रार्थी का संपरिवर्तन का आवेदन निरस्त होने की संभावना से भी इन्कार नही किया जा सकता। अतः बाद अवलोकन पत्रावली व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् अप्रार्थी द्वारा धारित की जा रही भूमि ग्राम पुनाडिया पटवार हल्का, कोटबालियान के खसरा नंबर 116/3 रकबा 0.02 हैक्टर व खसरा नंबर 117/1 रकबा 0.02 हैक्टर कुल खसरा–2 कुल रकबा 0.04 हैक्टर किस्म बारानी सोयम के सबंध में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की कार्यवाही ड्रोप की जाती है। अप्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि भूमि संपरिवर्तन की कार्यवाही नियत समयावधि में पुर्ण करना सुनिश्चित करे। यदि अप्रार्थी समयावधि में भूमि संपरिवर्तन की कार्यवाही करने में असमर्थ रहता है तथा कृषि भूमि का अकषि प्रयोजन उपयोग लिया जाता है, तो भूमिधारी पुनः नया आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)	

Scanned with CamScanner